HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए प्रतिबन्धित नशीली गोलियां सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 27.08.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित नशीली गोलियां सप्लाई करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 27.01.2023 को अभियुक्त अभिषेक पुत्र बब्लू निवासी मौहल्ला आदर्श नगर कॉलोनी गली न0 02 दस्तोई रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को प्रतिबन्धित नशीली गोलियां सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 75/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 26.02.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 27.08.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आषीश कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री संजय सिंह यादव एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 गौरव गौतम का विशेष योगदान रहा।